आदेश फलक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1942 का नियम 129)

समाहरणालय, सहरसा

(जिला विधि शाखा)

अधिहरण (उत्पाद) वाद सं0...23...../17–18

राज्य बनाम मकान

आदेश का क्रम–संख्या और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बाद के टिप्पणी, तारीख–सहित। 3
12.8.17	पुलिस अधीक्षक, सहरसा से प्राप्त प्रतिवेदन एवं प्रस्ताव के आलोक में सिमरी बख्तियारपुर (बलवाहाट ओ0पी0) थाना कांड संख्या–136/17 दिनांक–14.05.17 में बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा 30 (a) के तहत उक्त मकान को मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा 58 के तहत अधिहरण की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए विपक्षी को अपना पक्ष स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से प्रस्ताव करने हेतु नोटिश किया गया। तामिला प्रतिवेदन प्राप्त। पुलिस अधीक्षक, सहरसा के प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि सिमरी बख्तियारपुर (बलवाहाट ओ0पी0) थाना कांड संख्या–136/17 दिनांक–14.05.17 में ओ0पी0 अध्यक्ष को सूचना मिली कि विबेक कुमार यादव पे0 दिलीप यादव सा0–सकड़ा पहाड़पुर ओ0पी0 बलवाहाट थाना–सिमरी बख्तियारपुर, जिला–सहरसा ने अपने घर पर भाड़ी मात्रा में अवैध विदेशी शराब रखे हुए तथा बेच रहें। अविलम्ब छापामारी करने पर भाड़ी मात्रा में विदेशी शराब बरामद हो सकता है। सनहा के आलोक में पु0अ0नि0 अनिल कुमार सिंह, सशस्त्र बल के साथ ग्राम–सकड़ा पहाड़पुर पहुँचा। ग्राम–सकड़ा पहाड़पुर पहुँचने पर वो छापामारी के क्रम विबेक कुमार यादव पे0 दिलीप यादव के घर से (1) रायल स्टैग क्लासिक विहस्की 180 ML के 35 पीस (2) MCDowells नं0 01 सेलीविरेशन सुपर XXX रम 180 ML के 04 पीस कुल मात्रा 07.020 लीटर को जब्त कर ओ0पी0 लाये। उक्त विदेशी शराब को अभिरक्षा में लेकर अभियोग दर्ज किया गया। राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक उत्पाद को सुना। उनके द्वारा बताया गया कि उक्त मकान से अवैध विदेशी शराब बरामद की गई है। जिससे स्पष्ट होता है कि उक्त मकान का अवैध शराब के कारोबार में लिप्त होने की मंशा स्पष्ट होती है। ऐसी स्थिति में बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 में प्रदत्त शक्तियों के आलोक में उक्त मकान का अधिग्रहण किया जाना आवश्यक है। 12.8.17	

विपक्षी की ओर से कारणपृच्छा दाखिल। कारणपृच्छा में अभिकथन किया गया कि बिवेक कुमार का शराब के व्यवसाय से कोई नाता नहीं है। वह एक गूंगा और बहरा व्यक्ति हैं जो बोलने और सुनने में अक्षम है। शराब आवासीय परिसर से जब्त नहीं हुआ है। शराब मवेशी के चारे के लिए बनायी गयी झोपड़ी से बरामद हुई है जो खुली हुई है और कोई भी व्यक्ति आसानी से प्रवेश पा सकता है। उसने उस झोपड़ी में शराब नहीं रखा था न ही आवासीय उद्देश्य के लिए उपयोग में आता हैं । यह मवेशी के चारा रखने के काम में आता है। अगर इस झोपड़ी को इस बरसाती मौसम में राजसात किया जाता है तो काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। नोटिश के परिशीलन से झोपड़ी का विवरण स्पष्ट नहीं है लेकिन कांड दैनिकी और प्राथमिकी के परिशीलन से स्पष्ट है कि झोपड़ी मवेशी के चारे को रखने के उपयोग में लाया जाता है। अंत में यह प्रार्थना की गयी है कि झोपड़ी को राजसात की कारवाई से मुक्त किया जाय।

उक्त मकान से विदेशी शराब बरामद हुआ जिससे यह प्रतीत होता है कि उक्त मकान का उपयोग अवैध शराब के कारोवार में किया जा रहा था तथा इस संबंध में विपक्षी द्वारा कोई ठोस साक्ष्य पेश नहीं किया गया कि मकान का उपयोग अवैध शराब के कारोबार में नहीं किया जा रहा था।

विशेष लोक अभियोजक उत्पाद के अभिकथन तथा पुलिस अधीक्षक, सहरसा से प्राप्त प्रस्ताव अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मकान से अवैध शराब बरामद हुआ है। बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू होने के बाबजूद मकान से शराब पाया जाना दण्डनीय अपराध है।

अधीक्षक उत्पाद, सहरसा एवं प्रभारी पदाधिकारी, राजस्व शाखा को आदेश दिया जाता है कि उक्त मकान का अंचलाधिकारी, सिमरी बख्तियारपुर एवं भवन निर्माण विभाग, सहरसा से मूल्यांकन कराकर अभिलेख उपस्थापित करें।

दिनांक 22.9.17 वास्ते सुनवाई।

12.9.17
समाहर्त्ता,
सहरसा।

12.9.17
समाहर्त्ता,
सहरसा।

ज्ञापांक 1210-2 / विधि, दिनांक 17-08-2017.

प्रतिलिपि– अधीक्षक उत्पाद, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– प्रभारी पदाधिकारी, राजस्व शाखा, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण प्रमण्डल, सहरसा एवं अंचलाधिकारी, सिमरीबख्तियारपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रभारी पदाधिकारी,
12.08.017 विधि शाखा, सहरसा।